रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 1975/चैत्र 19, 1897
No. 65] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 1975/CHAITRA 19, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th April 1975

CEMENT PRICES

No. 1-10/74-Cem.—In Resolution No. 1-10/74-Cem., dated the 1st August, 1974, the Government had summarised the main recommendations of the Tariff Commission in its report of April, 1974 on cement industry and had also announced the ex-works retention prices of cement produced by the existing units. In regard to ex-works retention prices for (a) units holding industrial licences/C.O.B. licences which were in the process of being set up and were expected to come into production shortly and (b) units which were not expected to come into production till the last couple of years of the Fifth Plan period, it was stated that the recommendations of the Commission were under examination of the Government and that decisions thereon would be announced separately. The decisions since taken by the Government are set out in the following paragraphs.

2. Keeping in view the higher capital cost of new units the Tariff Commission had recommended that the new units, which were in the process of being set up and which were expected to come into production shortly, should be granted an ex-works retention price

higher than that for the existing units by Rs. 10 per tonne and that the expansions falling under this category be granted a price higher than that for the existing units by Rs. 5 per tonne. The Government feel that it will not be desirable to make any distinction between new units and expansions and, therefore, have decided that the expansion as well as new units falling under this category be granted a uniform ex-works retention price higher than that for the existing units by Rs. 10 per tonne. The Cement Control Order, 1967 is being amended accordingly.

3. On the basis of the estimate of cost of putting up new plants, the Commission had expressed the view that the ex-works retention price of Rs. 161 per tonne would be reasonable for such units, provided their capital needs were partially met by the grant of interest free loans on long term basis from the Cement Development Fund, to be created by a levy of Rs. 10 per tonne on the cement produced and a matching grant by Government. The corresponding ex-works retention price recommended for the expansions falling in this category was Rs. 149 per tonne. It was recommended that, if for any reason the Cement Development Fund was not created, a further element will have to be added to the price, to take care of the servicing charges on the additional investment involved in the setting up of new units.

4. On careful consideration the Government have come to the conclusion that it will not be appropriate to levy a tax/cess on production of cement, with a view to create a Fund for financing the future expansion of the industry. It will also not be possible for the Government to make a matching contribution as a grant to the proposed Fund.

5. Government find that since the inquiry undertaken by the Tariff Commission, the capital cost of the new units has increased further. Therefore, it may not be reasonable, nor in the interest of the further growth of the industry, to fix retention prices for the new units, expected to go into production during the last couple of years of the Fifth Plan period, at the levels recommended by the Tariff Commission. The Government have, instead agreed in principle to so fix the ex-works retention prices for such new units (without making a distinction whether they are new units or expansions) as to ensure a return of 14 per cent on capital employed, subject to the stipulation that the capital cost per tonne of the new installed capacity will not exceed Rs. 650. As and when any such new units go into production suitable provisions will be made in the Cement Control Order, 1967.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1975

सीमेंट मूल्य

सं० 1-10/74-सीमेंट.—संकल्प संख्या 1-10/74 सीमेंट दिनांक 1 अगस्त, 1974 में सरकार ने प्रानुक आयोग द्वारा सीमेंट उद्योग के बारे में अप्रैल, 1974 में प्रस्तुत रिपोर्ट में निहित मूल्य सिफारिशों का सार दिया था तथा विद्यमान एककों द्वारा उत्पादित सीमेंट के कारखाने से निकलते समय के संधारण मूल्य भी घोषित किये थे। (क) औद्योगिक लाइसेंस/कार्य चालू रखने के लिये लाइसेंस प्राप्त एकक जो स्थापित किए जा रहे थे तथा जिनमें शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा थी, तथा (ख) जिन एककों में पांचवीं योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों में उत्पादन शुरू होने की आशा नहीं थी उनके संबंध में कारखाने से निकलते समय के संधारण मूल्य के बारे में यह बताया गया था कि आयोग की सिफारिशों

की सरकार द्वारा जांच की जा रही है और तत्संबंधी निर्णय की घोषणा अलग से की जायेगी। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिए गए हैं :—

2. नए एककों की ऊंची पूंजीगत लागत को ध्यान में रख कर प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की थी कि नए एककों के लिए जो स्थापित किए जा रहे हैं तथा जिनमें शीघ्र ही उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है विद्यमान एककों के मुकाबिले कारखाने से निकलते समय का संधारण मूल्य 10 रुपये प्रति मी० टन अधिक स्वीकार किया जाना चाहिए तथा इस श्रेणी में आने वाले विस्तार के मामलों में विद्यमान एककों के मुकाबिले 5 ० प्रति मी० टन अधिक मूल्य स्वीकार किया जाना चाहिए ।

सरकार यह समझती है कि नए एककों और विस्तार के मामलों में कोई अंतर करना उचित नहीं होगा, अतः यह निश्चय किया गया है कि इस श्रेणी में आने वाले नए एककों तथा विस्तार दोनों ही प्रकरणों में कारखाने से निकलते समय का एक सा संधारण मूल्य विद्यमान एककों से 10 रु० प्रति मी० टन अधिक स्वीकार किया जाना चाहिए । सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 में उसके अनुरूप संशोधन किया जा रहा है ।

3. नए एकक स्थापित करने की लागत के अनुमान के आधार पर आयोग ने यह विचार व्यक्त किया है कि नए एककों के मामले में 161 रु० प्रति मी० टन का कारखाने से निकलते समय का संधारण मूल्य उपयुक्त रहेगा बशर्ते उनकी पूंजीगत आवश्यकताओं की आंशिक पूर्ति, सीमेंट विकास विधि—जिसकी स्थापना उत्पादित सीमेंट पर 10 रु० प्रति मी० टन की लेवी लगाकर तथा इसके बराबर के सरकारी अनुदान से की जानी है, से दीर्घ कालीन आधार पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर की जाये । इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विस्तार के मामलों में कारखाने के निकलते समय का तदनुकूल संधारण मूल्य 149 रु० प्रति मी० टन रखने की सिफारिश की गई थी । यह सिफारिश की गई थी कि यदि किसी कारणवश सीमेंट विकास निधि का संचयन नहीं हो पाता तो नए एकक की स्थापना में होने वाले अतिरिक्त विनियोजन संबंधी सेवा प्रभार को पूरा करने के लिये मूल्य में अग्रेतर वृद्धि करनी पड़ेगी ।

4. सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि भविष्य में सीमेंट उद्योग में विस्तार करने के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु निधि स्थापित करने के लिए सीमेंट के उत्पादन पर कर/उपकर लगाना उचित नहीं होगा । प्रस्तावित निधि के लिए सरकार द्वारा अनुदान में बराबर की राशि देना भी संभव नहीं होगा।

5. सरकार जानती है कि प्रशुल्क आयोग द्वारा की गई जांच के बाद नए एककों की पूंजीगत लागत में अग्रेतर वृद्धि हुई है । अतः नए एककों के लिए, जिनमें पांचवीं योजना-अवधि के अंतिम दो वर्षों तक उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है आयोग द्वारा सिफारिश किए गए स्तर पर संधारण मूल्य निश्चित करना न तो तर्कसम्मत होगा और न ही उद्योग के अग्रेतर विकास के हित में होगा । इसकी बजाय सरकार ने ऐसे नए एककों के लिए नए एकक अथवा विस्तार के मामलों में अंतर किए बिना कारखाने से निकलते समय का संधारण मूल्य इस प्रकार निश्चित करना सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है जिससे किए गए पूंजी विनियोजन पर 14% का लाभ सुनिश्चित हो सके उपबन्धित है कि नई अधिष्ठापित क्षमता की पूंजीगत लागत 650 रुपये प्रति मी० टन से अधिक नही हो । जब कभी भी

ऐसे किसी नए एकक में उत्पादन प्रारम्भ होगा सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 में उपयुक्त प्रावधान कर दिए जाएंगे ।

आदेश

संकल्प की एक प्रति सभी सम्बद्ध लोगों को भेजने तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया जाता है ।

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975